International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 23-06-2022, Accepted: 10-07-2022, Published: 25-07-2022
Volume 8, Issue 4, 2022, Page No. 59-61

कारागार सुधार के न्यायिक प्रयास

Vivek Kumar Rai[1], Amit Verma[2]
[1] Assitant Professor, Department of Political Science, Iswar Saran PG College, University of Allahabad, Uttar Pradesh, India
[2] Research Scholar, Department of Political Science, Iswar Saran PG College, University of Allahabad, Uttar Pradesh, India

सारांश
कारागार से तात्पर्य राज्य द्वारा संचालित ऐसी संस्था से है जहाँ ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनपर अपराध का दोष साबित हो गया है या उनपर न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चल रहा है । वर्तमान में भी भारत में कारागार का संचालन मुख्यतः 1894 के कारागार अधिनियम से ही संचालित हो रहा है जो ब्रिटिश काल की देन है । आज भी हम यदि गंभीरता से देखे तो कैदियों की स्थिति और कारागार व्यवस्था में आशा के अनुरूप बदलाव नहीं हुआ है । क्षमता से अधिक कैदी, कारागारों की जर्जर संरचना, कैदियों का दमन, कारागार कर्मियों की संख्या में कमी आदि समस्याएं आज भी बनी हुई है । इसी के सम्बन्ध में कैदियों द्वारा दाखिल वादों और कई बार जनहित याचिकाओं के सन्दर्भ में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने मानवतावादी और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए है ।

मूल शब्दः उच्चतम न्यायालय, कारागार प्रशासन, कैदी, न्यायिक निर्णय

प्रस्तावना
कारागार का संचालन विधि द्वारा होना आवश्यक है क्योंकि यह एक लोक संस्था है । विधि यह कहती है कि किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को अपराधी घोषित किए जाने के बाद दण्ड के तौर पर आर्थिक दण्ड, मृत्यु दण्ड या कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है । स्वतंत्रता उपरांत लोक व्यवस्था, कारागार प्रशासन को सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय बनाया गया । इसलिए कारागार का संचालन और उसमें सुधार राज्यों का विषय है । हालांकि इसका संचालन आज भी मुख्यतः 1894 के कारागार अधिनियम और उत्तरवर्ती कालों में केंद्र सरकार द्वारा पारित बंदी शिनाख्त अधिनियम, बंदी अधिनियम, 1900; बंदी (न्यायालय में उपस्थिति अधिनियम), 1955; अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 आदि उपबंधो से ही हो रहा है ।
कारागार प्रशासन और कैदियों की स्थिति में सुधार का विषय वर्तमान में प्रबुद्ध जनों और सार्वजनिक मंचों पर ज्वलंत मुद्दा बन गया है । प्रशासनिक और न्यायिक दोनों माध्यमों से कारागार सुधार का प्रयास किया जा रहा है । वर्तमान में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग और जनता के मध्य जागरूकता में वृद्धि के कारण कैदियों के मानवाधिकारों का भी मुद्दा भी उठाया जा रहा है । इसी सन्दर्भ में न्यायिक निर्णयों द्वारा कारागार की स्थिति सुधारने के प्रयासों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है ।

अध्ययन पद्धति
इस शोध प्रपत्र हेतु ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है । अध्ययन में द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है और वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से कारागार के विविध आयामों का विवेचन किया गया है । साथ ही इस प्रपत्र को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से लिखने का प्रयास किया गया है । डाटा के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2019 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है ।

भारतीय कारागारों की समस्याएं
भारतीय कारागार व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश शासन काल की देन है । औपनिवेशिक शासन काल के दौरान कारागार का स्वरूप दंडात्मक था और कारागार शोषण, बर्बरता और अव्यवस्था के प्रतीक थे । स्वतंत्रता के उपरांत कारागार सुधार का प्रयास सभी स्तरों पर किया गया लेकिन फिर भी वर्तमान में भारतीय कारागार व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती है –

- भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रहते है जिसका कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कारागार में स्वच्छता में कमी पर प्रभाव पड़ता है । कैदियों की संख्या अधिक होने का परिणाम यह होता है की विधि द्वारा स्थापित कैदियों के वर्गीकरण और पृथक्करण के नियम का पालन नहीं हो पता । परिणामस्वरूप आकस्मिक अपराधी भी आदतन अपराधियों के साथ रहकर गंभीर अपराधी बन जाते है ।

तलिका 1

कारागारों की संख्या	कारागारों की वास्तविक क्षमता	कारागारों में बंद कैदियों की संख्या	अधिवास दर
1361	391574	450696	115.1%
1339	396223	466084	117.6%
1350	403739	478600	118.5%

स्रोत– प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2019[1]

उपर्युक्त आंकड़े से स्पष्ट होता है कि भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रहते है । 2018–2019 के मध्य कैदियों को रखने की क्षमता में 1. 09: की वृद्धि हुई है जबकि कैदियों की संख्या में 2.69: की वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो यह अधिवास दर 160: से भी अधिक है ।

- कारागारों में बढ़ती कैदियों की संख्या के कारण अनुशासन बनाए रखना कठिन कार्य होता है । कैदियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप कारागार कर्मियों की भर्ती न होना भी इसका एक प्रमुख कारण है । कैदियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण वे कारागार कर्मियों को परेशान करने का कार्य करते है जिससे कारागार व्यवस्था के भंग होने का खतरा बना रहता है ।
- महिला कैदियों के सम्बन्ध में भी कारागारों में अनेक समस्याएं देखी जाती है विशेषकर उन महिलाओं के साथ जिनके बच्चे भी कारागार में रहते है । विधि के अनुसार महिला कैदी के 6 वर्ष तक के बच्चे महिला के साथ रह सकते है । 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जेलों में 1543 महिला कैदियों के साथ 1779 बच्चे कारागारों में रह रहे है । इन 1543 महिला कैदियों में 1212 विचाराधीन कैदी है ।
- उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी भारतीय कारागारों में अन्य समस्याएं जैसे– जेलों में आपराधिकता, जेलों में गुटबाजी, हिंसा, विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या, राजनीतिक नेताओं द्वारा लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से समय पूर्व कैदियों को रिहा करना, कारागार प्रशासन के प्रति जनता द्वारा सहयोग का आभाव जैसी समस्याएं देखने को मिलती है ।

न्यायिक निर्णय

- न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित वादों में दिए गए प्रमुख है जिनका अनुपालन कर कैदियों और कारागार की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय निम्नलिखित है दृ
- राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य वाद2 में कहा कि भारतीय कारागारों की कुछ चुनिंदा समस्याओं को सुधार कर लिया जाए तो भारतीय कारागारों की स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है । ये प्रमुख समस्याएँ है–

1. कारागार में कैदियों की अधिक भीड़
2. विचाराधीन कैदियों के ट्रायल में लगने वाला अधिक समय
3. कारागार में कैदियों के साथ किया जाना वाला दुर्व्यवहार और उनकी प्रताड़ना
4. कैदियों के लिए पत्र–व्यवहार जैसी सुविधा की कमी
5. कैदियों के लिए अपर्याप्त भोजन, कपड़े
6. कारागार में स्वच्छता का अभाव

- कल्याणचंद सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा अन्य वाद3 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया । पप्पू यादव जो हत्या का आरोपित था उसकी अवैध गतिविधियों को रोकने में कारागार प्रशासन विफल था । इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पप्पू यादव को बिहार की जेल से स्थानांतरित कर महाराष्ट्र की जेल में भेजने का निर्णय दिया । यद्यपि बिहार जेल मैन्युअल में अंतर्राज्यीय जेल स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियम नहीं था । विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के बारे में टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि कैदियों को अनुच्छेद 21 के तहत मिला अधिकार निर्बंधनों से मुक्त नहीं है और उनके अधिकार एवं उनसे मिलने वाले व्यक्तियों को जेल मैन्युअल तथा अन्य विधानों द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ।
- महाराष्ट्र राज्य बनाम आशा अरुण गवली वाद4 में उच्चतम न्यायालय ने कारागार में अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया और कारागार अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया । मुंबई का अपराधी अरुण गवली कारागार कर्मियों की सहायता से जेल के भीतर से ही बाहरी अपराधियों से संपर्क कर आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहा था । इसे देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक पर लगाए गए रुपए 25000 के जुर्माने को वैध ठहराया । साथ ही कैदियों के लिए निर्मित कारागार सुविधा नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया और कैदियों से मिलने आने वाले सभी व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा कारागार रजिस्टर में व्यवस्थित तरीके से लिखने करने का आदेश दिया जिससे बाहुबली कैदियों तक बाहरी आपराधिक तत्त्व न मिल सके । न्यायिक अधिकारियों को भी समय–समय पर कारागार का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया जिससे अनुशासनहीन कर्मियों और कैदियों को नियंत्रण में रखा जा सके ।
- एस० पी० आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद[5] और अनिल कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद7 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की । न्यायालय ने उन कारकों की चर्चा की जिससे क्षयरोग जैसी बीमारियों से कारागार में संक्रमण फैलता है । ये कारक है दृ कारागार में पीकदान की व्यवस्था न होना और कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण में विलम्ब, संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पास समय से नहीं भेजा जाना, कारागार में क्षमता से अधिक कैदी होना, बीमार कैदियों को सामान्य कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था न होना आदि । न्यायालय ने माना कि कैदियों को दैहिक स्वतंत्रता (स्वतंत्र विचरण) के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूलभूत अधिकार प्राप्त है । इसलिए कारागार के वातावरण को स्वच्छ, स्वास्थ्य के दृष्टि से बेहतर बनाना कारागार प्रशासन का कार्य है ।
- प्रभादत्त बनाम भारत संघ वाद8 में कारागार के सम्बन्ध में प्रेस की स्वतंत्रता को न्यायालय ने पुष्ट किया । हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर रंगा–बिल्ला से साक्षात्कार लेना चाहती थी जिसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया । इसके विरोध में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि तिहाड़ जेल प्रशासन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के साक्षात्कार लेने से माना नहीं कर सकता क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता में यह अधिकार भी शामिल है और खोजी पत्रकारिता की जा सकती है ।
- विचाराधीन कैदियों के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य वाद[9] में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय है । उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी ने विचाराधीन कैदियों की तरफ से उच्चतम न्यायालय में कैदियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका उनके अवैध रूप से निरुद्ध किए जाने के विरोध में दायर की । कैदियों की यह शिकायत थी कि बिहार जेल में उनको 10 वर्ष से भी अधिक समय से बिना ट्रायल के रखा गया है । इस मामले में न्यायालय ने माना कि बिना किसी ट्रायल के जेल में कैदियों को लम्बे समय तक रखा जाना उनको अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है । विचाराधीन कैदियों की सुनवाई और ट्रायल में अत्यधिक विलम्ब होने की दशा में निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए–

1. ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने दोष सिद्ध होने की दशा में देय अधिकतम कारावास की सजा कारागार में गुजार ली है ।
2. ऐसे सभी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए जिनको जेल में रहते हुए 6 महीने हो गए है और उनके विरूद्ध ट्रायल नहीं हुआ है ।
3. ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जाए जिनके मामले में जांच होते हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है और उन्हें जेल में बंद रखा गया है । लेकिन ऐसा करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से जांच में देरी के कारणों को प्राप्त कर लेना चाहिए ।

4. विचाराधीन कैदी को बंध–पत्र (ठवदक) या जमानत पर छोड़े जाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिससे कारागार में अनुचित रूप से कैदियों की संख्या न बढ़े । लेकिन यह करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैदी के भागने की सम्भावना तो नहीं है ।

- इसी प्रकार मोहम्मद गयासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद[10] में निश्चित किया कि कैदियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो इसके लिए उनके साथ सांविधिक नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए । कारागार अधिकारियों से निरुद्ध बंदियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने की आशा करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान प्रगतिवादी अपराधशास्त्र की यह मूल धारणा प्रायः सभी देशों ने स्वीकार की है कि अपराधी को एक मरीज मानते हुए कारागारों को एक चिकित्सालय की भांति कैदियों का इलाज करना चाहिए । 'हमारे कारागार सुधारगृह होने चाहिए न कि क्रूर बेड़ियों को जकड़ने वाले संस्थान' ।[11]
- नाथू उर्फ परसराम बनाम राजस्थान राज्य वाद[12] में न्यायालय ने कैदियों द्वारा की जाने वाली अपील की प्रकिया को तेज करने के सम्बन्ध में निर्णय दिया । कैदियों द्वारा जब अपने विरूद्ध दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति से चुनौती दी जाती है तो उसे अपील आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की सत्यापित प्रति भी लगानी होती है । इस कारण रजिस्ट्रार द्वारा उनका मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता क्योंकि निचली आदालतों से अपीलार्थी के मामले का पूरा रिकॉर्ड आने में समय लगता है । इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश पारित किया कि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार द्वारा पूरे मामले के रिकॉर्ड आने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है ।
- डी० ए० बी० पटनायक बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य वाद[13] में नक्सलवादी आरोपियों से न्यायालय में याचिका दायर की । याची का कहना था कि कारागार प्रशासन द्वारा जेल की दीवारों पर तार लगाकर बिजली दौड़ाना गलत है । इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपराध सिद्ध होने के बाद कैदी को कुछ मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है । इसलिए दोषी सिद्ध कैदियों पर पहरा देने के लिए दीवार पर तार लगाकर बिजली दौड़ना गलत नहीं है । यह व्यवस्था इसलिए की गई थी जिससे कैदी जेल से भागने का प्रयास न करे । यदि कोई कैदी जेल से भागने के प्रयास में करंट लगने से मृत हो जाता है तो इसमें तार का दोष नहीं है । यह एक निरोधात्मक उपाय है जिसका पालन सभी को करना चाहिए ।
- महिला कैदियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आर० डी० उपाध्यायबनाम आंध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य वाद14 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपने बच्चों के साथ कारावास की सजा भोग रही महिलाओं के वाद को तेजी से प्राथमिकता के साथ निपटाना चाहिए जिससे उनके बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण आदि पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े । न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कारागार में जन्मे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म का स्थान कारागार नहीं लिखा जाना चाहिए ।
- इस प्रकार हम देखते है कि कारागार सुधार हेतु प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे है उसमें न्यायिक निर्णय एक पथप्रदर्शक का कार्य कर रहे है । यदि न्यायिक निर्णयों का अनुपालन राज्यों द्वारा गंभीरता से किया जाये और जेल मैन्युअल में संशोधन किया जाए एवं साथ ही पुलिस और न्यायपालिका समन्वयित रूप मिलकर कार्य करें तो बढ़ती कैदियों की संख्या में आशातीत कमी लाई जा सकती है । साथ ही यदि आपराधिक न्याय प्रशासन के सभी तत्त्व (पुलिस, न्यायपालिका और कारागार प्रशासन) मिलकर कार्य करे तो अपराध में कमी के साथ–साथ जेल से निकले कैदियों के व्यवहार में भी बदलाव लाया जा सकता है और उनका पुनर्सामाजिकरण कर बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है ।

सन्दर्भ सूची

1. https://ncrb-gov-in/sites/default/files/Executive-Summary-2019-pdf
2. ए० आई० आर०, 1997 सु० को० 1739
3. ए० आई० आर०, 2005 सु० को० 972
4. AIR 2004 , सु० को० 2223
5. डब्ल्यू० पी० नं 685, 1999
6. 2000 (1) करंट क्रिमिनल जजमेंट्स 118 (मध्य प्रदेश)
7. ए० आई० आर०, एस० सी० 1982, 6
8. ए० आई० आर०, 1979 सु० को० 1360
9. ए० आई० आर०, 1977 सु० को० 1926
10. ना० वि० परांजपेय अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं प्रपीड़नशास्त्रय सेंट्रल लॉ पब्लिकेशनय 2021य पृष्ठ संख्या 497–498
11. ए० आई० आर० 2007 सु० को० 1
12. ए० आई० आर०, एस० सी० 2012, 1974
13. ए० आई० आर०, 2006 सु० को० 1946
14. महाजन, संजीवय अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्रय अर्जुन पब्लिशिंग हाउसय नई दिल्लीय 2004
15. चौधरी, निताय रॉयय इंडियन प्रिजन लॉज एंड करेक्शन ऑफ प्रिजन्सय दीप एंड दीप पब्लिकेशनय 2002
16. https://ncrb-gov-in/sites/default/files/Executive-Summary-2019-pdf
17. मीना, डॉ० श्रीफल, प्राचीन भारतीय दण्ड व्यवस्था, जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कालैरली रिसर्च इन अलाइड एजुकेशन, वॉल्यूम 2, इशू नंबर 1, जुलाई 2011
18. कथ्यलिया, गिरीशय क्रिमिनोलॉजी एंड प्रिजन रिफॉर्म्सय लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशनय गुडगाँवय 2012
19. बघेल, डी० एस०य अपराधशास्त्रय विवेक प्रकाशनय दिल्लीय 2021